

**गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।**

विज्ञापन/पत्रांक संख्या : ६२५७

दिनांक २७-०३-२०२३

निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से फ्लैटेड फैवट्री (जी+3) के भवन निर्माण सहित सिविल कार्य के अन्तर्गत आन लाईन ई-निविदा के सात कार्य एवं आफ लाईन निविदा के अन्तर्गत छ. कार्य, तथा विद्युत कार्यों के अन्तर्गत आन लाईन ई-निविदा के चार कार्य एवं आफ लाईन निविदा के चार कार्य हेतु उपराक्तानुसार निविदायें दिनांक 28.03.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 18.04.2023 अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर उपलब्ध होगा, तथा आफ लाईन निविदा की सूचना/नियम एवं शर्तें गीडा की वेबसाईट www.gidagkp.in पर उपलब्ध होगा। निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। आफ लाईन निविदा हेतु निर्धारित निविदा मूल्य गीडा के बैंक खातों में जमा कर निविदा प्रपत्र गीडा के वित्त अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आन लाईन निविदा के प्रपत्र वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर देखे एवं वही पर भरे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से जक्त वेबसाईटों को देखते रहें, क्योंकि आन लाईन ई-निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर एवं आफ लाईन के संबंध में गीडा नोटिस बोर्ड अथवा गीडा की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।



(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीड़ा, गोरखपुर

दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

अल्पकालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीड़ा में सिविल/अनुरक्षण कार्यों को कराने हेतु गीड़ा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अहं श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑफ लाईन निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा तत्कालिन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के स्वीकृति के अनुसार निविदा दिनांक 28.03.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक 18.04.2023 को अपराह्न 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 18.04.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रीवालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीड़ा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीवालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी.एस.टी. व लेवर सेस अतिरिक्त (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	5	6	7	8	
1	गीड़ा अधिसूचित ग्राम जुड़ियान के अन्तर्गत ओमकार प्रजापति के घर के बगल से यादव टोला के जमीन तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.77	0.78	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी) रु० 1180.00	03 माह	'सी/डी'	ऑफ लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.04.2023 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीड़ा गोरखपुर की वेब साईट www.gidagkp.in से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तः—

- A) निविदादाता द्वारा, निर्धारित निविदा मूल्य के रूप में रु० 1180.00 "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या—740901000088, IFSC कोड— ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) अथवा गीड़ा वित्त अनुभाग में जमा कर दिनांक को अपराह्न 12:00 बजे तक जमा करते हुये निविदा प्रपत्रों को प्राप्त किया जा सकता है, तथा निर्धारित धरोहर धनराशि को गीड़ा के खाता संख्या—740901000088, IFSC कोड— ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) के साथ निविदा पूर्ण रूप से भरकर निविदा की अंतिम तिथि 29.11.2022 को अपराह्न 2:00 बजे तक गीड़ा कार्यालय में रखे बाक्स में जमा किया जा सकता है।
- B) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- C) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये रामी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण—पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए "बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई—प्रोक्यूर्सेट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- D) ऐसे निविदादाता जिसका सगा—सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर

आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्टेदारों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

- E) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- F) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- G) प्रत्येक बिडर्स को ₹0 100.00 के नान-ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर के शपथ-पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर आन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिडर्स कैपेसीटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता)/परीक्षण/ऑकलित हो सकें।
- H) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी-4, टी-5 की सत्यापित छायाप्रति एवं टी-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा०सं०-2572 / 23-7-2014-176 (सामान्य)/०६टी०सी० दिनांक 23 सितम्बर 2014 के कम में अपलोड करना अनिवार्य है।
- I) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836 / 23-7-17-176(सा०) / 06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ ₹0 100.00 के नान-ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- J) निविदा के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग के T-1 में निहित प्राविधान के अनुसार निविदा मूल्य के समान प्रकृति के कार्य का एक तिहाई का अनुभव यदि हो तो संलग्न करें।
- K) निविदादाता द्वारा विगत 5 वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई०टी०आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- L) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- M) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- N) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है।
- O) निविदादाता को हाट मिक्स प्लान्ट के स्वामित्व/किरायेदारी का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- P) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- Q) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबन्ध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- R) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

- S) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय—समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- T) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- U) निविदा की मूल प्रति एवं निविदा मूल्य हेतु RTGS/NEFT की जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) मूल रूप से समस्त प्रपत्रों पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये इन्डेक्स के साथ सील कर निविदा डालने की तिथि व समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीड़ा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- V) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सोस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- W) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- X)(i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
(ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
(iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासनादेश सं0 8/2017/836/23-7-17-176(सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- Y) अन्य नियम व शर्तें लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में अर्मियन्ट्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पत्रांक 6283 /अभिनी0-6/सिविल/निविदा(सि0)/गीड़ा/2022-23
प्रतिलिपि :-

दिनांक ...27-03-2023

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- कम्प्यूटर अनुभाग, गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट www.gidagkp.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।